कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656357 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./2023/854. दिनांकः– 10/8/23

–: कार्यवाही विवरण :–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 31.07.2023 को उपायुक्त (जोन–03) की अध्यक्षता में आयोजित की जानी थी जो अपरिहार्य कारणों से दिनांक 01.08.2023 को उपायुक्त (जोन–03) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई, बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:–

एजेण्डा संख्या 01. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 01.08.2023)

विषय :– जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 23.06.2023 जोन 03 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 01.08.2023)

विषय :– राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 308/1 के भूखण्ड संख्या 7 बनाप 1388.88 वर्गगज का संलग्न साईट प्लान अनुसार उपविभाजन बाबत्।

आवेदक :– श्रीमती मंजू परिहार पत्नी श्री जुगलकिशोर परिहार

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 308/1 के भूखण्ड संख्या 7 बनाप 1388.88 वर्गगज के कार्यालय यू.आई.टी जोधपुर द्वारा जारी आवसीय प्रयोजनार्थ पटटा का संलग्न साईट प्लान अनुसार उपविभाजन के उपरांत न्यूनतम 30 पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर पर कर ले–आउट प्लान संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2021 अनुसार उपविभाजित भूखण्डों पर भवन मानदण्ड, प्रचिलित भवन विनयम अनुसार किये जा सकेगें।

एजेण्डा संख्या 03. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 01.08.2023)

विषय :– राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 308/1 के भूखण्ड संख्या 15 बनाप 1388.88 वर्गगज का संलग्न साईट प्लान अनुसार उपविभाजन बाबत्।

आवेदक :– श्री जुगलकिशोर परिहार पुत्र श्री घनश्याम परिहार

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 308/1 के भूखण्ड संख्या 7 बनाप 1388.88 वर्गगज के कार्यालय यू.आई.टी जोधपुर द्वारा जारी आवसीय प्रयोजनार्थ पटटा का संलग्न साईट प्लान अनुसार उपविभाजन के उपरांत न्यूनतम 30 पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता जोन स्तर पर कर ले–आउट प्लान संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.08.2021 अनुसार उपविभाजित भूखण्डों पर भवन मानदण्ड, प्रचिलित भवन विनयम अनुसार किये जा सकेगें।

एजेण्डा संख्या 04. (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 01.08.2023)

विषय :– राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 272/1 के भूखण्ड संख्या 114 बनाप 2362.15 वर्गगज में से 114–ए, बनाप 706.66 वर्गगज, 114–बी, बनाप 706.66 वर्गगज एवं 114–सी, बनाप 797.91 वर्गगज का संलग्न साईट प्लान अनुसार उपविभाजन बाबत्।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 272/1 के भूखण्ड संख्या 114 बनाप 2362.15 वर्गगज के कार्यालय जोविप्रा, जोधपुर द्वारा जारी आवसीय प्रयोजनार्थ पटटा में से 114–ए, बनाप 706.66 वर्गगज, 114–बी, बनाप 706.66 वर्गगज एवं 114–सी, बनाप 797.91 वर्गगज का उपविभाजन करने पर मूल भूखण्ड अनुसार सेटबैक लगाये जाने के उपरान्त भूखण्ड के शेष भाग

(114–डी) में निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नही होता है। अतः उक्त के कम में कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को पूर्व में प्रेषित पत्र कमांक 262 दिनांक 14.06.2023 के कम में मागदर्शन अपेक्षित है। उक्त मार्गदर्शन प्राप्त उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जानी सम्भव है।

एजेण्डा संख्या 05 (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 01.08.2023)

विषय :– राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 23, 32 के ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

निर्णय :– आवेदित भूमि का उत्तरी भाग दिशा ट्यूरिज्म फेसेलिटी में होने के कारण उक्त क्षेत्र के भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही जोन स्तर पर ही किया जाना उचित होगा। उक्त ट्यूरिज्म फेसेलिटी के क्षेत्र को हटाने पर शेष रहे आवासीय क्षेत्र में वर्तमान में 10 प्रतिशत निर्माण नही होने के कम में एवं उक्त क्षेत्र का पूर्व में प्राधिकरण स्तर पर ले–आउट प्लान समिति में निर्णयार्थ रखे जाने के कम में दक्षिणी भाग के अनुमोदन हेतु प्रकरण को ले–आउट प्लान समिति में रखा जाना अपेक्षित है।

एजेण्डा संख्या 06 (जोन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 01.08.2023)

विषय :– राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 351/1/5, 351/1/4 के रकबा 02.18.00 बीघा के संशोधित ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 11 में सेटबैक पश्चात् क्षेत्रफल शेष नहीं रहने के कारण उक्त भूखण्ड के स्थान पर पार्क व ले–आउट के दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 16 के समीप स्थित पार्क के सम्मुख स्थित सड़क को निरन्तर करते हुए भूखण्ड संख्या 16 को शेष भाग में समाहित करते हुए निर्धारित पार्क की उपलब्धता एवं पूर्व में पट्टा जारी न होने की सुनिश्चितता उपरान्त संशोधित ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में आवश्यक देय शुल्क, संशोधन शुल्क इत्यादि वसूल किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावेगी।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक/अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन–03) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/ 855-860 दिनांकः– 10/8/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–03, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशाषी अभियन्ता जोन–03, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन–03, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर